

भारत का प्रस्तावति पोत नरिमाण मशिन

प्रलिमिंस के लयि:

[पोत नरिमाण मशिन](#), [पोत जीरणोदधार और पुनरचकरण मशिन](#), [अंतरराषटरीय समुद्री वविाद समाधान केंदर](#), [वधावन पततन](#), [गैलेथयिा खाडी](#), [इंडयिा पोर्टस ग्लोबल लिमिटेड \(IMEC\)](#), [चाबहार पततन](#), [भारत-मध्य पूरव-यूरोप आर्थकि गलयिारा \(IMEC\)](#), [मुंदरा पततन](#), [समुद्री भारत वजिन 2030](#)

मेन्स के लयि:

भारत की अर्थव्यवस्था के लयि पततन आधारकि संरचना का महत्त्व ।

[स्रोत: एलएम](#)

चर्चा में कयों?

हाल ही में, पततन,पोत परविहन और जलमारग मंत्री [मेक इन इंडयिा](#) पहल से प्रेरति होकर वर्ष 2047 तक एक सुदृढ़ वैश्वकि पोत नरिमाण उद्योग के नरिमाण हेतु एक [पोत नरिमाण मशिन](#) नरिमति कर रहे हैं ।

- सरकार भारत को शीरष समुद्री शक्तयिों में सम्मलिति करने के लयि एक **व्यापक रणनीति** नरिमति कर रही है ।

प्रस्तावति पोत नरिमाण मशिन की मुख्य वशिषताएँ कया हैं?

- वैश्वकि बाज़ार स्थिति:** सरकार वर्ष 2047 तक भारत को शीरष पोत नरिमाण उद्योग और [वैश्वकि समुद्री केंदर](#) के रूप में स्थापति करना चाहती है ।
 - वर्तमान में पोत परविहन से संबंधति गतिविधियिों में भारत की वैश्वकि बाज़ार हसिसेदारी **1% से भी कम है** ।
- व्यापक रणनीति:** मशिन ने काररवाई के लयि **बारह कषेत्रों की पहचान की है**, जनिमें **वतितपोषण**, **बीमा**, पोत स्वामतिव और पट्टे, अधिकार पत्र, पोत नरिमाण, पोत जीरणोदधार, पोत पुनरचकरण, प्रस्तरमारग और पंजीकरण, संचालन, तकनीकी प्रबंधन, स्टाफकि और चालक दल एवं मध्यस्थता शामिल हैं ।
- पोत नरिमाण पार्कों का वकिस:** इसका उद्देश्य भारत के दोनों तटों पर **बड़े पोत नरिमाण पार्क स्थापति करना** है । सरकार ने वदिशी नविश के अवसरों का पता लगाने के लयि **दक्षिण कोरयिा और जापान को आमंत्रति कयिा है** ।
 - इन्हें **महाराष्टर, केरल, आंधर प्रदेश, ओडशिा और गुजरात** में स्थापति कयिा जाएगा ।
- वर्तमान व्यापार गतिशीलता में परिवर्तन:** वर्तमान में, भारत का लगभग 95% व्यापार वदिशी पोतों पर नरिभर करता है, जसिके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष **110 बलियिन अमेरकि डॉलर का बहरिवाह** होता है । इस पहल का उद्देश्य इस गतिशीलता को महत्त्वपूर्ण रूप से परिवर्तति करना है ।
- समुद्री वकिस कोष:** सरकार समुद्री पहलों के लयि दीर्घकालकि वतितपोषण प्रदान करने हेतु लगभग **25,000 करोड रुपये** की धनरारा कि साथ **समुद्री वकिस कोष स्थापति करने की योजना बना रही है** ।
 - इसे **राषटरीय अवसंरचना एवं वकिस वतित पोषण बैंक (NaBFID)** की तरज पर स्थापति कयिा जा सकता है ।
- संबद्ध मशिन:** इस केंदरति दृषटकिण के अनुरूप दो और मशिन शीघर ही आरंभ कयिे जाने हैं ।
 - करूज इंडयिा मशिन:** यह [पोत अवसंरचना](#) को संवर्द्धति करेगा और बड़े करूज पोतों को समायोजति करने के लयि वशिष करूज टर्मनिलों का नरिमाण करेगा ।
 - जीरणोदधार और पुनरचकरण:** पोत नरिमाण के अतरिकित, भारत [पोत जीरणोदधार और पुनरचकरण मशिन](#) शुरू करने की तैयारी कर रहा है ।
 - कोच्चि, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और वाडनिार (गुजरात) को प्रमुख जीरणोदधार केंदर बनाने के लयि वकिसति कयिा जाएगा** ।
- उत्कृषटता केंदर:** पोत नरिमाण एवं जीरणोदधार में उत्कृषटता केंदर की स्थापना की जाएगी ताकि इन कषेत्रों मेंवाचार को संवर्द्धति कयिा जा सके ।
- मुक्त व्यापार डपिे:** पोत जीरणोदधार के लयि **आयातति सामग्रयिों पर सीमा शुल्क छूट** प्रदान करने के लयि शपियार्डों में एक मुक्त व्यापार डपिे स्थापति कयिा जाएगा ।

- अंतरराष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र (IIMDRC): [IIMDRC](#) को समुद्री विवादों को घरेलू स्तर पर सुलझाने के लिये शुरू किया गया है, जिससे [दुबई](#) और [सिंगापुर](#) जैसे वैश्विक केंद्रों पर निर्भरता कम हो गई है। IIMDRC योग्यता-आधारित और उद्योग-शासित समाधान प्रदान करता है, जिससे भारत मध्यस्थता के लिये एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है।
- घरेलू संरक्षण और कषतपूर्ति इकाई: मंत्रालय तटीय पोत परिवहन और अंतरदेशीय जलमार्गों के लिये तीसरे पक्ष के समुद्री बीमा प्रदान करने के लिये एक घरेलू इकाई [इंडिया क्लब की स्थापना की संभावना तलाश रहा है](#)। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और दबावों के जोखिम को कम करना है। उदाहरण के लिये, [यूक्रेन युद्ध](#) के कारण अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने रूसी पोत परिवहन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया।

भारत के समुद्री क्षेत्र में हाल की घटनाएँ क्या हैं?

- पत्तन अवसंरचना: भारत ने देशभर में बड़े पत्तनों के लिये जो योजनाएँ बनाई हैं, उनमें महाराष्ट्र के [वधावन](#) में हाल ही में 76,220 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पत्तन भी शामिल हैं।
 - वर्तमान में भारत द्वारा संचालित ट्रांसशपिंग केंद्रों को [अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के गैलेथिया खाड़ी](#) में एक मेगा पोर्ट का प्रस्ताव दिया गया है।
- 40 मिलियन TEU का लक्ष्य: मंत्रालय का अनुमान है कि भारत में आगामी पांच वर्षों में 40 मिलियन TEU (बीस फुट समतुल्य यूनिट) तक पहुँच जाएगी।
 - [जवाहरलाल नेहरू पत्तन](#) की परचालन क्षमता वर्तमान में 6.6 मिलियन से बढ़कर 10 मिलियन तक पहुँच गई है, जिससे यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम पत्तन बन गया है।
- हाइड्रोजन वनरिमाण केंद्र: हाइड्रोजन वनरिमाण केंद्र स्थापित करने के लिये [दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण \(DPA\)](#), [कांडला](#) और [वीओ चर्चिबरनार पत्तन न्यास \(पूर्व में तूतीकोरनि पत्तन न्यास\)](#) में कुल 3,900 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।
- वैश्विक वसितार: [इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड \(IPGL\)](#) ने श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश में वभिन्न अंतरराष्ट्रीय पत्तनों पर टर्मिनलों के संचालन का अधगिरहण किया।
 - इसके अतिरिक्त, भारत ने [चाबहार पत्तन](#) के लिये अपना अनुबंध स्वीकृत किया है।
- व्यापार गलियारों: प्रस्तावित 4,800 किलोमीटर लंबा [भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा \(IMEC\)](#) भारतीय पत्तनों को [सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात \(UAE\)](#) जैसे देशों से जोड़ेगा और अंततः यूरोप तक वसितारित होगा।
- मैत्री प्लेटफॉर्म: मैत्री (अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वनियामक अंतराफलक के लिये मास्टर एप्लिकेशन) कई भारतीय वकिरय पोर्टलों को संयुक्त अरब अमीरात के साथ समेकित किया जाता है, जिससे सीमा पार व्यापार व्यवसाय सुव्यवस्थित होता है।
- इसे IMEC के [वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर \(VTC\)](#) के आधार के रूप में अभिकल्पित किया गया है, जो देश के बीच व्यापार डेटा के सुरक्षित और कुशल साझाकरण की सुविधा प्रदान करता है।

पोत निर्माण उद्योग से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- पोत निर्माण का परिचय: पोत निर्माण से तात्पर्य परिवहन, रक्षा और व्यापार के लिये उपयोग किये जाने वाले पोतों के निर्माण, जीर्णोद्धार और संधारण से है।
 - शिपयार्ड नामक विशेष सुविधाएँ बड़े पैमाने की परियोजनाओं और जटिल पोत समन्वायोजन प्रक्रियाओं को प्रबंधित करती हैं।
- वैश्विक पोत निर्माण बाजार अवलोकन: वैश्विक पोत निर्माण बाजार का मूल्य वर्ष 2023 में 207.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और वर्ष 2024 में इसके 220.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।
 - प्रमुख पोत निर्माण करने वाले देशों में चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
 - चीन, दक्षिण कोरिया और जापान सामूहिक रूप से 85% बाजार पर नियंत्रण रखते हैं।
- पोत निर्माण बाजार में भारत की हस्तिसेदारी: वैश्विक पोत निर्माण बाजार में भारत की हस्तिसेदारी 0.06% है। पोत निर्माण नरियात में भारत 1.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 12वें स्थान पर है, जबकि चीन 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नरियात के साथ सबसे आगे है।
- भारत के पोत निर्माण बाजार में संवृद्धि: वर्ष 2022 में, भारत के पोत निर्माण उद्योग का मूल्य 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और वर्ष 2033 तक 8,120 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
 - सरकारी समर्थन, सामरिक अवस्थिति, शर्म लागत लाभ के कारण भारतीय पोत निर्माण बाजार वर्ष 2047 तक 237 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के अवसर खोल सकता है।
- भारत की शीर्ष पोत निर्माण कंपनियाँ:
 - [मझगांव डॉक लिमिटेड \(MDL\)](#): भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिये युद्धपोतों के निर्माण के लिये जाना जाता है।
 - [कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड \(CSL\)](#): CSL अपतटीय पोतों, तेल टैंकरों, वमिन वाहकों में विशेषज्ञता रखता है। यह भारत का सबसे बड़ा पोत निर्माता और देश की सबसे बड़ी पोत जीर्णोद्धार सुविधा है।
 - [अडानी समूह की पहल](#): वर्ष 2024 में, अडानी समूह ने 45,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ [गुजरात के मुंद्रा पत्तन](#) पर एक प्रमुख पोत निर्माण पहल की घोषणा की।
 - इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक पोत निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है तथा वर्ष 2047 तक 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार बनाना है।

मैरीटाइम इंडिया वजिन 2030 क्या है?

- [मैरीटाइम इंडिया वजिन 2030](#) देश के समुद्री क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिये शुरू की गई एक सामरिक पहल है।

- इसने पोत नरिमाण और पोत जीर्णोद्धार में भारत के वैश्विक श्रेणीकरण को वर्ष 2030 तक 20वें स्थान से शीर्ष 10 में लाने का साहसकिक लक्ष्य रखा है तथा वर्ष 2047 तक शीर्ष पांच में स्थान प्राप्त करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को प्रस्तुत किया है।
- फरवरी 2023 तक, भारतीय पत्तनों पर क्षमता वृद्धि और वशिव स्तरीय अवसंरचना के विकास के लिये 1,00,000 से 1,25,000 करोड रुपये के नविश का अनुमान है।

भारत के प्रमुख पत्तन (बंदरगाह)



- भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के तहत परिभाषित केंद्र और राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अनुसार भारत में पत्तनों/बंदरगाहों को महापत्तन/बड़े बंदरगाह (Major Ports) और गैर-महापत्तन/छोटे पत्तन/छोटे बंदरगाह (Minor Ports) के रूप में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् महापत्तनों का स्वामित्व एवं प्रबंधन का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के पास होता है जबकि गैर-महापत्तनों का स्वामित्व एवं प्रबंधन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के पास होता है।
- महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 भारत में महापत्तनों के नियमन, संचालन एवं नियोजन का प्रावधान करता है और इन बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। इसने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 का स्थान लिया है।
- कार्यात्मक महापत्तनों की वर्तमान संख्या 12 है। 13वाँ महापत्तन वधावन बंदरगाह, महाराष्ट्र (निर्माणाधीन) है।



नषिकर्ष

मैरीटाइम इंडिया वजिन 2030 द्वारा संचालित भारत के पोत नरिमाण मशिन का लक्ष्य देश को शीर्ष वैश्विक पोत नरिमाण केंद्रों में स्थान दलाना है। सरकारी समर्थन, सामरिक नविश और अंतर्राष्टरीय सहयोग के साथ, यह मशिन भारत के समुद्री आधारकिक संरचना को संवर्द्धति करेगा, लाखों नौकरयिों का सृजन करेगा और वैश्विक प्रतसिपर्द्धा को सुदृढ़ करेगा। नवाचार और सतत् विकास पर इसका ध्यान भारत की आर्थकिक और भू-राजनीतकिक अवस्थतकिको महत्त्वपूर्ण रूप से संवर्द्धति करेगा।

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□:

प्रश्न: मैरीटाइम इंडिया वजिन 2030 के अंतरगत भारत के पोत नरिमाण मशिन की प्रमुख वशिषताओं पर चर्चा कीजयि।

